रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 1976/आश्विन 29, 1898

No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 1976/ASVINA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDERS

New Delhi, the 21st October, 1976

S.O. 688(E).—Whereas the Central Government is of opinion that employment in port and docks at Bombay (hereinafter referred to as the said employment) is essential for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 119 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the said employment to be an employment to which rule 119 of the said rules applies.

[No. F. S.42011/10/76-DIA(I)]

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1976

का० आ० 688 (अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि बम्बई के पत्तन और गोदियों में नियोजन (जिसे इस के पश्चात् उक्त नियोजन कहा गया है) समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए आवश्यक है;

अतः, अब, भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम, 119 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त नियोजन को ऐसे नियोजन के रूप में घोषित करती है, जिसे उक्त नियमों का नियम 119 लागू होता है।

[सं० फा० एस० 42011/10/76/डी० आई० ए० (i)]

S.O. 689(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in the port and docks at Bombay would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said port and docks;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India, Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the port and docks at Bombay for a period of six months.

[No. F. S.42011/10/76-DIA(ii)]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

का० आ० 689 (अ) केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और बम्बई के पत्तन और गोदियों में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, और उक्त पत्तन और गोदियों में हड़ताल को रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बम्बई के पत्तन तथा गोदियों में किसी भी औद्योगिक विवाद से संबंधित हड़ताल को छः मास की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फा० एस० 42011/10/76/डी०आई०ए० (ii)]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

मुद्रक प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976